संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 31)

[18 अगस्त, 2006]

संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 है । संक्षिप्त नाम ।

1959 का 10 **2.** संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,-- धारा 3 का संशोधन ।

(i) खंड (कग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(कघ) भारत सरकार द्वारा, मंत्रिमंडल सचिवालय में आदेश सं० 631/2/1/2004-मंत्रिमंडल, तारीख 31 मई, 2004 द्वारा गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष का पद ;";

(ii) खंड (ञ) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे और 4 अप्रैल, 1959 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :--

"(ट) सारणी में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(ठ) किसी न्यास के, चाहे वह लोक न्यास हो या प्राइवेट, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई निकाय नहीं है, अध्यक्ष या न्यासी का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(ड) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय के, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निकाय नहीं है, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रधान सचिव या सचिव का पद ;"। 1860 का 21

नई सारणी का अंतःस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी अन्तःस्थापित की जाएगी और 4 अप्रैल, 1959 से अन्तःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"सारणी

[धारा 3(ट) देखिए]

क्रम सं0	निकाय का नाम
(1)	(2)
1.	त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज ऐक्ट, 1966 के अधीन गठित निकाय ।
2.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउन्सिल ।
3.	इरिगेशन एण्ड फ्लड कंट्रोल कमीशन, उत्तर प्रदेश ।
4.	इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता ।
5.	वेस्ट बेंगाल हेंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
6.	वेस्ट बेंगाल स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
7.	वेस्ट बेंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
8.	श्रीनिकेतन शांतिनिकेतन डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
9.	हल्दिया डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
10.	वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन, वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1995 के अधीन गठित निकाय ।

(1)	(2)
11.	हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स, हुगली रिवर ब्रिज ऐक्ट, 1969 (1969 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 36) के अधीन गठित ।
12.	पश्चिमी बंगाल वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के अधीन गठित निकाय ।
13.	स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, वेस्ट बेंगाल ।
14.	पश्चिमी बंगाल राज्य हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) के अधीन गठित ।
15.	आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
16.	वेस्ट बेंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकैमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
17.	वेस्ट बेंगाल हेंडलूम एण्ड पावरलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
18.	वेस्ट बेंगाल खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ।
19.	सोसाइटी फार सेल्फ-इंप्लाइमेंट फार अरबन यूथ, वेस्ट बेंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1961 (1961 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 26) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ।
20.	तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् बोर्ड ।
21.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) के अधीन गठित प्राधिकरण ।
22.	नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) ।
23.	इण्डियन फार्मर फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको) ।
24.	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ।
25.	नेशनल को-आपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) ।
26.	आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का 54) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित आरोविल प्रतिष्ठान ।
27.	नेशनल कमीशन आफ इन्टरप्राइजेज इन अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर ।
28.	एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 5) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित योजना बोर्ड (एशियाटिक सोसाइटी) ।
29.	दिल्ली रुरल डेवलपमेंट बोर्ड ।
30.	मौलाना आजाद एजुकेशन फांउडेशन ।
31.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ।
32.	डा. अंबेडकर फांउडेशन ।

(1)	(2)
33.	बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, बिहार हिन्दू रिलीजियस ट्रस्ट ऐक्ट, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन गठित निकाय ।
34.	रिसर्च एण्ड इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर नॉन-अलाइंड एण्ड अदर डेवलपिंग कंट्रीज ।
35.	इंडियन इंस्टीट्यूट् ऑफ साइकोमेट्री ।
36.	उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ।
37.	उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल को-आपरेटिव फेडरेशन ।
38.	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ।
39.	नेशनल को-आपरेटिव यूनियन आफ इंडिया ।
40.	उत्तर प्रदेश कृषि और ग्राम विकास बैंक ।
41.	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
42.	इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स ।
43.	बोर्ड आफ कन्ट्रोल --ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट आफॅ सोशल स्टडीज, पटना ।
44.	ऑल इंडिया काउंसिल फार स्पोर्ट्स ।
45.	हावड़ा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ।
46.	दलित सेना, 12, जनपथ, नई दिल्ली ।
47.	सोशल जस्टिस ट्रस्ट, 12 जनपथ, नई दिल्ली ।
48.	बहुजन फाउंडेशन (चेरिटेबल ट्रस्ट), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
49.	बहुजन प्रेरणा चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली ।
50.	केन्द्रीय वक्फ परिषद्, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 के अधीन स्थापित ।
51.	नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी (एन एम एम एल)।
52.	जलियांवाला बाग स्मारक न्यास ।
53.	भारत की हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 3 के अधीन गठित ।
54.	मल्लिकघाट फूलबाजार परिचालन कमेटी ।
55.	वेस्ट बेंगाल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड ।" ।

विधिमान्यकरण और अन्य विषयों के बारे में विशेष उपबंध ।

4. (1) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश या राय के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (कघ), खंड (ट), खंड (ठ) और खंड (ड) में वर्णित पद, उनके धारकों को संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित नहीं करेंगे या कभी निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे, मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहा है ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह, किसी व्यक्ति को, जिसने यथा पूर्वोक्त किसी आदेश या निर्णय के कारण कोई पद

रिक्त किया है, किसी पुनः अधिष्ठापन का दावा करने या इस निमित्त कोई अन्य दावा करने का हकदार बनाती है ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी अर्जी या निर्देश का निपटारा इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

राष्ट्रपति ने दि पार्लियामेंट (प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) अमेंडमेंट बिल, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Parliament (Prevention of Disqualificatin) Amendment Act, 2006 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—2983OLW—26.10.2006.